कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 1877/एस0टी0–डी0एम0–कोरोना/2020 दिनांकः 26.03.2020

आदेश

कोरोना वायरस (कोविड 19) के फैलाव से बचाव एवं नियत्रंण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक जनपद गौतमबुद्धनगर को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी, संस्थाऐं, राजकीय निगम/मण्डल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) के पूर्ण रूप से बन्द होने के फलस्वरूप इन इकाईयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों/अन्य व्यक्तियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. जिनं कम्पनियों/संस्थानों/इकाईयों/कार्यालयों में कार्मिकों का वेतन भुगतान माह–मार्च के अन्तिम सप्ताह में किये जायेंगें, वहां वेतन भुगतान करने हेतु माह–मार्च की 30 एवं 31 तारीख को प्रति इकाई 02 ऐसे व्यक्तिों जिनके द्वारा सम्बन्धित इकाई के कार्मिकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती हो, को वेतन भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
2. जिन कम्पनियों/संस्थानों/इकाईयों/कार्यालयों में कार्मिकों के वेतन भुगतान अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में किये जाते हैं, वहां वेतन भुगतान करने हेतु माह अप्रेल की 03 व 04 तारीख को प्रति इकाई 02 ऐसे व्यक्तिों जिनके द्वारा सम्बन्धित इकाई के कार्मिकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही की जाती हो, को वेतन भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।
3. चूँकि आवश्यक सेवाओं हेतु उत्पादों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों/संस्थानों/इकाईयों/कार्यालयों को लॉकडाउन अवधि में बन्दी से मुक्त रखा गया है, अतएव ऐसी इकाईयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए पृथक से किसी अनुमति का औचित्य नहीं है।
4. सम्बन्धित कम्पनियों/संस्थानों/इकाईयों/कार्यालयों के प्रबन्धक/सचिव/अध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा अपने लेटर हैड पर वेतन भुगतान किये जाने हेतु नामित किये गये कार्मिक को नाम/पदनाम/पता सहित प्रमार्णित किया जायेगा। ऐसे नामित किये गये कार्मिकों द्वारा अपने कार्यस्थल पर आने व जाने के लिए सम्बन्धित इकाई के लैटर हैड की प्रति अपनी आई0डी0 के साथ दिखायी जायेगी। सम्बन्धित कम्पनियों/संस्थानों/ इकाईयों/कार्यालयों द्वारा लैटर हैड के साथ नियुक्त/नामित किये गये कार्मिकों का सम्पूर्ण विवरण जिला मजिस्ट्रेट **(ई–मेल आई0डी0–dmgbn@nic.in)** एवं सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त व पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। इन कार्मिकों को इसी आधार पर उनके कार्यस्थल पर आने व जाने से रोका नहीं जायेगा।

Scanned with CamScanner

5. उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत **ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की ओर से कोई अन्य पास निर्गत नहीं किये जायेगें।**
6. ऐसी ईकाईयों के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु नामित किये गये कार्मिकों द्वारा अपनी इकाई में कार्य करते समय शासन के निर्देशों के कम में Social Distancing का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(बी0एन0 सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्ध नगर।

कृ0 प्र0

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री), उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शसन, लखनऊ
4. अपर मुख्य सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
7. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आदेश के अनुपालन हेतु जनपद के सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
8. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(भू0अ0)/(प्रशासन)गौतमबुद्ध नगर।
10. नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
11. समस्त उप जिलाधिकारी/डिप्टी कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर।
12. उप श्रमायुक्त, गौतमबुद्ध नगर।
13. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. अन्य समस्त कार्यालयध्यक्ष, गौतमबुद्धनगर।

जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्धनगर।

कृ0 प्र0

(2)

26/03/2020
Dy Collector / Staff Officer

Scanned with CamScanner